

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के पारित निर्णय दिनांक 09.11.2009 के परिपेक्ष्य में पी.एम.टी. 2009 (एमबीबीएस) आर0डी0गार्डी चिकित्सा महाविद्यालय,उज्जैन में रिक्त 08 सीटों पर आवंटन प्रक्रिया की सूचना ।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 क्रमांक 27561-27580/09 में पारित निर्णय दिनांक 09.11.09 के परिपालन में व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा आयोजित पी.एम.टी. 2009 में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा निजी चिकित्सा महाविद्यालय हेतु जारी किये गये परीक्षा परिणाम के आधार पर मेरिट सूची के अनुसार प्रदेश के आर0डी0गार्डी चिकित्सा महाविद्यालय,उज्जैन से चिकित्सा महाविद्यालय, सागर में छात्रों द्वारा आवंटन प्राप्त करने के कारण आर0डी0गार्डी चिकित्सा महाविद्यालय, उज्जैन की रिक्त 08 सीटों पर आवंटन की कार्यवाही दिनांक 30.11.09 को प्रातः 10.30 बजे से गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में की जावेगी । रिक्तियों की स्थिति निम्नानुसार है :-

अनारक्षित श्रेणी - 07 सीटें
अनुसूचित जाति - 01 सीटें

दिनांक	कार्यक्रम	उम्मीदवारों की श्रेणी/संवर्ग का नाम जिन्हें उपस्थित होना है ।	वे उम्मीदवार जिन्हें काउंसिलिंग में उपस्थित होना है ।
30.11.09	स्कूटनी	अनुसूचित जाति (ओपन) अनारक्षित (ओपन)	आप्ट फार वेटिंग के उम्मीदवार मेरिट क्रं 423, 513, 619, 643, 644, 707, 725, 846, 945, 1372 1159, 1377, 1436, 1474, 1514, 1520, 1528, 1531, 1562, 1579, 1589, 1642, 1643, 1674, 1700, 1717, 1828, 1939, 1976, 2038, 2253, 2461, 2465, 2562, 2604, 2637, 2650, 2700, 2679, 2845, 2866, 2867, 2871, 2933, 2934, 2939, 2981, 3006, 3101, 3288, 3557, 3568, 3574, 4010, 4060, 4303, 4555, 4630, 4644, 4731, 4803, 4991, 5284, 5544, 5638, 5718, 5712, 5834,
30.11.09	आवंटन	अनुसूचित जाति (ओपन)	आप्ट फार वेटिंग के उम्मीदवार मेरिट क्रं 423, 513, 619, 643, 644, 707, 725, 846, 945, 1372

	अनारक्षित (ओपन)	1159, 1377, 1436, 1474, 1514, 1520, 1528, 1531, 1562, 1579, 1589, 1642, 1643, 1674, 1700, 1717, 1828, 1939, 1976, 2038, 2253, 2461, 2465, 2562, 2604, 2637, 2650, 2700, 2679, 2845, 2866, 2867, 2871, 2933, 2934, 2939, 2981, 3006, 3101, 3288, 3557, 3568, 3574, 4010, 4060, 4303, 4555, 4630, 4644, 4731, 4803, 4991, 5284, 5544, 5638, 5718, 5712, 5834,
--	-----------------	---

आवंटन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी / निर्देश :-

- 1- पूर्व में एम0बी0बी0एस0 /बीडीएस कोर्स पर आवंटन प्राप्त छात्रों को पुन आवंटन की पात्रता नहीं होगी ।
- 2- पूर्व की काउंसलिंग मे किसी कारण से अपात्र घोषित उम्मीदवार अपने अभिलेख पूर्ण कराकर आवंटन प्रक्रिया मे भाग ले सकते है ।
- 3- सभी सीटो का आवंटन उम्मीदवार की व्यापम द्वारा घोषित श्रेणी /संवर्ग मे मेरिट के आधार पर किया जायेगा ।
- 4- पीएमटी प्रवेश परीक्षा में चयनित अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार द्वारा रिक्त सीटों की आवंटन प्रक्रिया में उपस्थित होने पर यदि आवंटन प्राप्त किया जाता है, तो ऐसे उम्मीदवार सुरक्षा निधि के रूप में रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार मात्र) तथा अनुसूचित जाति श्रेणी के वे उम्मीदवार जिनके माता पिता/संरक्षक की आय रूपये 1.80 लाख से अधिक है के उम्मीदवारो को रूपये 2,000/- (रूपये दो हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट पीएमटी नियम-2009 के नियम 7.0 के अनुसार "संचालक चिकित्सा शिक्षा, म0प्र0 भोपाल" के पक्ष में देय हो, आवंटन पश्चात् जमा करना होगा, तदुपरान्त ही उम्मीदवार को आवंटन पत्र प्रदान किया जावेगा ।
- 5- पीएमटी प्रवेश परीक्षा नियम-2009 के बिन्दू क्रं. 16.6 के अनुसार सभी मूल अभिलेख तथा इन अभिलेखों की अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के दो सैट आवंटन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक हैं ।
- 6- किसी भी श्रेणी में सीटें समाप्त अथवा उम्मीदवार शेष न रहने पर उस श्रेणी की आवंटन प्रक्रिया वहीं समाप्त घोषित कर दी जायेगी ।
- 7- उक्त आयोजित की जा रही आवंटन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे उम्मीदवारो को पृथक से काल लेटर नही भेजे जा रहे है । इस विज्ञापन के अनुसार ही उम्मीदवारों को उपस्थित होना है । यदि उम्मीदवार इस सूचना से वंचित रह जाते है तो यह उनके स्वयं की जिम्मेदारी रहेगी । विभाग द्वारा इस सम्बन्ध मे कोई कार्यवाही मान्य नही की जावेगी ।
8. उम्मीदवारो के अभिलेख अपूर्ण एवं गलत पाये जाने की स्थिति में आवंटन प्रक्रिया में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी जिसके लिये उम्मीदवार स्वयं जिम्मेदार होगा ।

नोट:-

- अ. यदि उल्लेखित आवंटन कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना आवंटन स्थल पर ही चस्पा की जावेगी ।
- ब. एक उम्मीदवार के साथ केवल एक ही व्यक्ति को आवंटन स्थल पर प्रवेश की अनुमति दी जायेगी ।
- स. उक्त प्रोग्राम की जानकारी संचालनालय की बेबसाईट www.mp.nic.in. **medicaleducation** पर भी उपलब्ध है ।

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश